माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (इंदौर बैंच)

प्रकरण क्रं. M- 1328/IBR/14

1. विक्रमसिंह पिता औंकारसिंह, आयु 70 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)
2. बनेसिंह पिता औंकारसिंह, आयु 65 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)

——याचिकाकर्तागण/रिव्युकर्तागण

विरूद्व

म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर इंदौर

——रेस्पोडेंट

विषय :– रिव्यु/पुर्नविलोकन धारा 57 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के तहत के साथ धारा 151 सी.पी.सी. के तहत

माननीय महोदय,

याचिकाकर्तागण/रिव्युकर्तागर्ण की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :–

01 यह कि, माननीय महोदय के द्वारा याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के तहत दिनांक 30/4/2004 को प्रस्तुत याचिका को निरस्त कर दिया गया है तदउपरांत याचिकाकर्तागण/रिव्युकर्तागण के द्वारा प्राप्त की गई प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 29/5/2014 के अनुसार यह रिव्यु विधिवत लिमिटेशन एक्त के तहत माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

02 यह कि, माननीय महोदय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में म.प्र. कृषि जो खातो की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 23 तथा म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 8 अधीक्षण क्षतियों से संबंधित के अंतर्गत जो आदेश स्वप्रेरणा से यह दिया गया कि निगरानी की कार्यवाही उपरोक्त प्रकरण में नहीं की जा सकती है। उक्त आदेश से न्यायदान से वंचित होने के कारण तथा माननीय न्यायालय

निरन्तर.....2

मोबाइल नम्बर .....

के द्वारा जिन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया उनमें प्रार्थीगण के द्वारा यह निवेदन किया जा रहा है कि, म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय कमांक 221/125/2013/7–नजूल भोपाल दिनांक 21/2/2013 के पत्र का अवलोकन अनिवार्य होकर उक्त रिव्यु स्वीकार योग्य है।

03 यह कि, उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की सीलिंग से संबंधीत कृषि भूमि को प्रतिप्रार्थी के द्वारा जिन तथ्यों में सीलिंग किया गया उक्त संबंध में म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय कमांक 221/125/2013/7–नजूल भोपाल दिनांक 21/2/2013 के पत्र में सीलिंग एक्ट के प्रकरणों का परीक्षण किया जाना तथा जो भूमि किसान के पास है उसे वापस करने के निर्णय लिये जाने के संबंध में उक्त पत्र जारी किया गया है जो माननीय न्यायालय के समक्ष रिव्यु आवेदन के साथ आदेश के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त पत्र के अवलोकनार्थ पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यु विधिवत स्वीकार होकर धारा 8 म.प्र.भू.रा.स. तथा धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. के तहत के साथ म.प्र. कृषि जो खाते की अधिकतम सीमा अधिनियम के संबंध में रिव्यु स्वीकार होकर श्रवण योग्य है तथा मूल प्रकरण में चाही गई सहायता प्रार्थीगण के द्वारा पाने की पात्रता रखते है।

अतएव श्रीमान से निवेदन है कि, प्रस्तुत रिव्यु आवेदन पत्र को जो प्रकरण कमांक एम–1328–पी.बी.आर./14 सीलिंग एक्ट/एम.ए. के तहत दिनांक 30/4/14 के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है को स्वीकार कर अनुग्रहित करने की कृपा करें।

इति दिनांक : 17/06/2014 प्रार्थीगण/प्रस्तुतकर्तागण/रिव्युकर्तागण

1. विक्रमसिंह पिता औंकारसिंह, आयु 70 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)
2. बनेसिंह पिता औंकारसिंह, आयु 65 वर्ष, व्यवसाय–कृषक, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम किठोदा, तहसील सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)

द्वारा अभिभाषक
एडवोकेट नीलेश नायक

––याचिकाकर्तागण/रिव्युकर्तागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 1931–पीबीआर/14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–12–2015	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30–4–2014 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाई गई है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	